



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 630]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 31, 2001/भाद्र 9, 1923

No. 630]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 31, 2001/BHADRA 9, 1923

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2001

का.आ. 848(अ).— जीवजन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 5क के उपखण्ड (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 516 (ई) दिनांक 13 जून, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

(i) उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (8) तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :

“(8) श्री शैलजा कान्त मिश्र, ...धारा 5 (1)(i) (ख ग) के अधीन सदस्य।
पुलिस महानिरीक्षक
जी.ओ. III 35वीं वाहिनी
पी.ए.सी. परिसर
महानगर, लखनऊ-226006

(ii) क्रम संख्या (22) तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी, अर्थात् :-

- “(23) श्री योगी आदित्यनाथ, ..धारा 5 (1) (i) के अधीन सदस्य।
संसद सदस्य (लोक सभा)
123-125 नार्थ एवेन्यू
नई दिल्ली - 110 001
- (24) श्रीमती प्रनीत कौर, धारा 5 (1) (i) के अधीन सदस्य।
संसद सदस्य (लोक सभा)
123, जोर बाग नई दिल्ली-110003
- (25) श्री दानवे रावसाहेब पाटिल, ...धारा 5 (1) (i) के अधीन सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा),
32 नार्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली- 110001
- (26) महबूब जाहेदी ..धारा 5(1) (i) के अधीन सदस्य।
संसद सदस्य (लोक सभा)
80, नार्थ एवेन्यू
नई दिल्ली- 110001
- (27) श्री ललित भाई मेहता ..धारा 5 (1) (i) के अधीन सदस्य।
संसद सदस्य (राज्य सभा)
37, साउथ एवेन्यू
नई दिल्ली - 110011
- (28) डा0 राजा रमन्ना .धारा 5 (1) (i) के अधीन सदस्य।”।
संसद सदस्य (राज्य सभा)
सी-1/28, पंडारा पार्क
नई दिल्ली- 110003

[फा. सं. 11/4/2001-ए डब्ल्यू डी]

सपना राय, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : भारतीय जीवजन्तु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन संबंधी मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 516 (ई), दिनांक 13 जून, 2001 के तहत प्रकाशित की थी ।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2001

S.O. 848(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Social justice and Empowerment number S.O. 516(E), dated, the 13th June, 2001, namely:-

(i) In the said notification, - for serial number (8) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“(8) Shri Shailja Kant Misra, Member
Inspector General of Police, under section 5(1)(bc).”;
GO-III, 35th Bn. PAC Campus,
Mahanagar, Lucknow-226006

(ii) after serial number (22) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“(23) Shri Yogi Aditya Nath, Member under section 5(1)(i).
Member of Parliament(Lok Sabha)
123-125, North Avenue,
New Delhi-110001

(24) Smt. Preneet Kaur, Member under section 5(1)(i).
Member of Parliament(Lok Sabha),
123, Jor Bagh,
New Delhi-110003

(25) Shri Danve Raosaheb Patil, Member under section 5(1)(i).
Member of Parliament(Lok Sabha),
32, North Avenue,
New Delhi-110001

(26) Shri Mahboob Zahedi, Member under section 5(1)(i).
Member of Parliament(Lok Sabha),
80, North Avenue,
New Delhi-110001

- (27) Shri Lalitbhai Mehta,
Member of Parliament(Rajya Sabha),
57, South Avenue,
New Delhi-110011
Member under section 5(1)(i).
- (28) Dr. Raja Ramanna,
Member of Parliament(Rajya Sabha),
C-1/28, Pandara Park,
New Delhi-110003.
Member under section 5(1)(i)."

[F. No. 11/4/2001-AWD]
SWAPNA RAY, Jt. Secy.

Note :The principal notification reconstituting the Animal Welfare Board of India was published in the Gazette of India vide number S.O.516(E) dated 13th June,2001.